न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट चूरू

पीठासीन अधिकारी लोकेश कुमार गौतम (आर.ए.एस)

इस्तगासा संख्या 2021/75 **दायर दिनांक 18.11.2021**

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरु जिला चूरु (राजस्थान) —सायल—

बनाम

राजेश कुमार उर्फ राजू पुत्र श्री दलीप सिंह जाति जाट उम्र 40 साल निवासी वार्ड नम्बर 13, कस्बा सिद्धमुख पुलिस थाना सिद्धमुख जिला चूरू। —गैरसायल—

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975

उपस्थित :—

1. **अभियोजन अधिकारी (पैरोकार राज.) वास्ते सायल**

निर्णय **दिनांक : 11.03.2022**

यह इस्तगासा पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय में दर्ज ऑनलाईन किया गया। इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है गैरसायल राजेश कुमार उर्फ राजू पुत्र श्री दलीप सिंह जाति जाट उम्र 40 साल निवासी वार्ड नम्बर 13, कस्बा सिद्धमुख पुलिस थाना सिद्धमुख जिला चूरू का रहने वाला है, जो अवैध शराब बेचने व अवैध जुआ सट्टा करने का आदी है। समाज के नव युवकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। गैरसायल के उक्त कृत्य पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। गैरसायल के विरूद्ध निम्नांकित मुकदमें दर्ज होकर सजायाब हुआ है :—

क.स.	मुकदमा न0 एवं दिनांक	जुर्म धारा	चालान दिनांक	जे.एफ. नम्बर	फैसला अदालत
1	13/2015	19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम	23.04.2015	233/2015	सजा 09.02.2016
2	70/07.04.2016	19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम	03.08.2016	429/2016	सजा 08.10.2016
3	53/25.03.2017	19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम	30.05.2017	432/2017	विचाराधीन न्यायालय
4	171/27.11.2017	13 आरपीजीओ	16.12.2017	195/2017	सजा 16.12.2017
5	01/05.01.2019	19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम	06.12.2019	1135/2019	विचाराधीन न्यायालय

अतः इस्तगासा विरुद्ध राजेश कुमार उर्फ राजू पुत्र श्री दलीप सिंह जाति जाट उम्र 40 साल निवासी वार्ड नम्बर 13, कस्बा सिद्धमुख पुलिस थाना सिद्धमुख जिला चूरू को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही फरमाने का आदेश फरमावें।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल होने के उपरान्त गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री हजारीसिंह राठौड़ ने वकालतनामा पेश किया किन्तु प्रकरण में ना तो जवाब पेश किया ना ही उपस्थित आये। इसलिए गैरसायल के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरू ने उपस्थित होकर अपनी बहस में कहा कि इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 04 बार, 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम व 01 बार 13 आरपीजीओ के अन्तर्गत दोष प्रमाणित है। गैरसायल अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

परिभाषा में आता है। गैर सायल अपराधी गतिविधियों में भाग लेता है इसलिए गैरसायल को जिले से बाहर निष्कासित किया जावें ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके।

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरू की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली–भान्ति अवलोकन किया गया। इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 04 मुकदमें 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में 2015, 07.04.2016. 25.03.2017 व 05.01.2019 तथा 01 मुकदमा 13 आर.पी.जी.ओ. में दिनांक 27.11.2017 के अनुसार प्रमाणित है। इस प्रकार राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा (3)(3) के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिधि में आता है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा धारा 3 राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम, 1975 विरूद्ध गैरसायल राजेश कुमार उर्फ राजू पुत्र श्री दलीप सिंह जाति जाट उम्र 40 साल निवासी वार्ड नम्बर 13, कस्बा सिद्धमुख पुलिस थाना सिद्धमुख जिला चूरू स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायल राजेश कुमार उर्फ राजू पुत्र श्री दलीप सिंह जाति जाट उम्र 40 साल निवासी वार्ड नम्बर 13, कस्बा सिद्धमुख पुलिस थाना सिद्धमुख जिला चूरू को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत 15 दिवस के लिए थाना क्षेत्र से बाहर निर्वासित किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना सिद्धमुख गैरसायल राजेश कुमार उर्फ राजू को थानाधिकारी पुलिस थाना राजगढ़ को सुपुर्द करेंगे जो कि थानाधिकारी पुलिस थाना राजगढ़ की देखरेख में 15 दिवस के लिए रहेगा एवं प्रत्येक सोमवार को थानाधिकारी थाना राजगढ़ में हाजरी देने हेतु उपस्थित होगा। निर्णय की प्रति पालना हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना राजगढ़ व थानाधिकारी पुलिस थाना सिद्धमुख तथा पुलिस अधीक्षक चूरू को भेजी जावें। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, चूरू